

अनुभव प्रमाण पत्र, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सरपंच के लेटर हेड पर जारी किया जाता है।

अनुभव प्रमाण पत्र

मैं, शुनावराजभाट (ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम),

ग्राम प्रधान/सरपंच- ग्राम पंचायत अकोल्ही विकास

खंड लालगंज जनपद आजमगढ़

..... प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री श्रीमती

श्रीमती सुमित्रा देवी (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती

श्री शिवप्रसाद (पिता/माता का नाम), निवासी

अकोल्ही (ग्राम पंचायत का नाम), जिसका

आधार संख्या 848/ 2/26 2392 (आधार संख्या) है, ने हमारी

ग्राम पंचायत अकोल्ही में पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/प्लंबिंग

और रखरखाव में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक:

प्रधान

ग्राम पंचायत- अकोल्ही

वि० ख०- लालगंज, आजमगढ़

हस्ताक्षर और मुहर

ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम

(ग्राम पंचायत)